

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2015/अग्रहायण 17, 1937

No. 394]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2015/AGRAHAYANA 17, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 24 नवंबर, 2015

सं.टीएएमपी/35/2010-सीडब्ल्यूसी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा, कांडला पत्तन न्यास में कंटेनर फ्रेट स्टेशन पर केंद्रीय भंडार निगम के लिए निर्धारित मौजूदा प्रशुल्क की वैधता, एतद्वारा इसके साथ संलग्न आदेश अनुसार बढ़ायी जाती है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/35/2010-सीडब्ल्यूसी

केंद्रीय भंडार निगम

.....

आवेदक

आदेश

(नवंबर 2015 के 10 वें दिन पारित)

यह मामला कांडला पत्तन न्यास में कंटेनर फ्रेट स्टेशन पर केंद्रीय भंडार निगम (सीडब्ल्यूसी) द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए इसके वर्तमान दरमानों की वैधता अवधि में बढ़ोत्तरी से संबंधित है।

2. सीडब्ल्यूसी के वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/35/2010-सीडब्ल्यूसी दिनांक 06 जनवरी, 2012 के अंतर्गत अनुमोदित किये गये थे जिन्हें भारत के राजपत्र में 01 मार्च, 2012 को अधिसूचित किया गया था। इस आदेश में दरमानों की वैधता 31 मार्च, 2014 तक निर्धारित की गई थी। वर्तमान दरमानों की वैधता की तिथि इस प्राधिकरण द्वारा दो बार बढ़ायी गई है और पिछली बढ़ोत्तरी दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के आदेशानुसार 30 सितंबर, 2015 तक थी।

3. दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के आदेश द्वारा मौजूदा दरमानों की वैधता बढ़ाते हुए इस प्राधिकरण द्वारा सीडब्ल्यूसी को अपना संशोधित प्रस्ताव पेश करने के लिए 30 सितंबर, 2015 तक का समय दिया गया था। सीडब्ल्यूसी ने अपने दिनांक 28 सितंबर, 2015 के पत्र में उल्लेख किया है कि वर्तमान स्थिति, उनके पत्र दिनांक 23 मार्च, 2013 के अंतर्गत दी गई सूचना के समान ही है। अर्थात् केपीटी पर कोई कंटेनर टर्मिनल प्रचालक नहीं है। अतः कोई आईएमपीईएक्स पोत केपीटी पर नहीं आता है परिणामतः सीडब्ल्यूसी सीएफएस कांडला पत्तन पर वास्तव में व्यापार-कार्य शून्य है। इसलिए पत्तन पर आईएमपीईएक्स कंटेनर आवागमन के बिना इससे संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनुचित होगा। सीडब्ल्यूसी ने आगे उल्लेख किया है कि कंटेनर टर्मिनल प्रचालक की नियुक्ति के लिए केपीटी द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2015 के वैश्विक आमंत्रण/आरएफक्यू से संबंधित निर्णय अभी लिया जाना है। और जैसा कि सीटीओ/सीडब्ल्यूसी-सीएफएस कांडला पत्तन के माध्यम से दिसंबर 2015 तक की सूचना केपीटी के पास है, केपीटी पर कोई कंटेनर व्यापार कार्य नहीं होगा।

4.1. सीडब्ल्यूसी ने आगे कहा है कि इसके द्वारा सीएफएस-केपीटी पर नये एच एंड टी ठेकेदार की नियुक्ति के लिए एनआईटी जारी किया गया है और इससे संबंधित निविदा खुलने की तिथि 08 जनवरी, 2016 है अर्थात् निविदा प्रक्रिया अक्टूबर 2015 में पूरी हो जाएगी तथा एच एंड टी प्रचालन के एसओआर निश्चय ही मौजूदा दरों से अधिक होंगे। एचएंडटी दरों में बढ़ोत्तरी के साथ सामानता के लिए एचएंडटी प्रयुक्त की दरों में अनुपाततः परिशोधन की तुरन्त आवश्यकता होगी ताकि सीडब्ल्यूसी को वित्तीय नुकसान न होने पाए। इसलिए ठेकेदार को दिए जाने वाले एचएंडटी दरमानों में बढ़ोत्तरी के साथ समानता के लिए सीएफएस-केपीटी पर एचएंडटी की दरों में अस्थायी आधार पर संशोधन करना ही बुद्धिमता होगी। एच7टी दरों में बढ़ोत्तरी की सीमा तक एचटीसी की नियुक्ति के पश्चात् सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रशुल्क संशोधन संबंधी प्रस्ताव इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

4.2 उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में सीडब्ल्यूसी ने मौजूदा दरमानों की वैधता 30 सितंबर, 2015 के बाद 31 दिसंबर, 2015 तक या एचटीसी की नियुक्ति तक जो भी पहले हो, बढ़ाने का अनुरोध किया है। सीडब्ल्यूसी द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि इस प्राधिकरण द्वारा सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव का अनुमोदन जब तक दे नहीं दिया जाता, तब तक प्रहस्तन और ट्रांसपोर्टेशन (एचएंडटी) प्रशुल्क (एचएंडटी कंटेक्टर/निविदासंबंधी निर्णयीकरण के पश्चात्, एचएंडटी दरमानों में बढ़ोत्तरी की सीमा तक परिशोधित किया जाए।

5.1. 28 अप्रैल, 2015 के आदेश द्वारा सीडब्ल्यूसी के दरमानों में बढ़ोत्तरी किए जाने पर भी सीडब्ल्यूसी द्वारा उल्लिखित स्थिति अनुसार केपीटी पर तत्कालीन आईएमपीईएक्स कंटेनर आवागमन से संबंधित स्थिति में कोई बदलाव नहीं पाया गया है। केपीटी पर, सीडब्ल्यूसी द्वारा 28 सितंबर, 2015 के पत्र में ब्यान की गई असाधारण स्थिति के मद्देनज़र इस प्राधिकरण द्वारा सीडब्ल्यूसी के वर्तमान दरमानों की वैधता को 31 मार्च, 2016 तक या संशोधित दरमानों कार्यान्वित होने की तिथि तक जो भी पहले हो, वैधता बढ़ायी जाती है।

5.2. सीडब्ल्यूसी के अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा सीडब्ल्यूसी को अपने दरमानों में संशोधन का प्रस्ताव 31 दिसंबर, 2015 तक प्रस्तुत करने का समय प्रदान करता है।

5.3. दरमानों में निर्धारित मौजूदा एचएंडटी प्रशुल्क में संशोधन के लिए सीडब्ल्यूसी के अनुरोध के संदर्भ में यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि सीडब्ल्यूसी-सीएफएस के लिए लागू लागत तथा 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों में प्रशुल्क निर्धारण के दृष्टिकोण में, प्रशुल्क-चक्र के लिए विस्तृत लागत अवस्था पर विचार किए बिना केवल एक प्रशुल्क मद पर विचार करना संभव नहीं है। लेकिन दरमानों में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् प्रशुल्क-चक्र की विस्तृत लागत अवस्था पर विचार करने के पश्चात् दरमानों में, 2005 के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। अतः एचएंडटी प्रशुल्क में संशोधन करने के लिए सीडब्ल्यूसी का अनुरोध प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

6. यदि 01-04-2014 के बाद की अवधि से संबंधित अनुमत्त लागत से अधिक कोई अतिरिक्त अधिक्य और अनुमत रिटर्न सामने आती है, तो इसके कार्य निष्पादन की समीक्षा के दौरान तो ऐसे अधिक्य को निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूरी तरह व्यवस्थित कर दिया जाएगा।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/143/15(282)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th November, 2015

No. TAMP/35/2010-CWC.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing tariff prescribed for the Central Warehousing Corporation at the Container Freight Station in the Kandla Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports**Case No. TAMP/35/2010-CWC****The Central Warehousing Corporation**

- - -

Applicant**ORDER**

(Passed on this 10th day of November, 2015)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Central Warehousing Corporation (CWC) for the services rendered by it at the Container Freight Station in the Kandla Port Trust.

2. The existing Scale of Rates (SOR) of CWC was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/35/2010-CWC dated 06 January, 2012 which was notified in the Gazette of India on 01 March, 2012. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March, 2014. This Authority, had extended the validity of SOR of CWC on couple of occasions; the last extension being till 30 September, 2015 vide Order dated 28 April, 2015.

3. While extending the validity of its existing SOR vide Order dated 28 April, 2015, this Authority had granted time till 30 September, 2015 to the CWC to file its proposal for revision of its SOR. The CWC, vide its letter dated 28 September, 2015, has stated that the position as intimated to this Authority vide their letter dated 23 March, 2015 still prevails i.e. presently there is no Container Terminal Operator at KPT and hence no IMPEX vessel is reporting at KPT resulting virtually nil business at CWC-CFS Kandla Port. Without any IMPEX container traffic at port, the tariff proposal will not be justifiable. The CWC has further stated that the global invitation/RFQ dated 18 March, 2015 floated by the KPT for appointment of Container Terminal Operator is yet to be finalized and as gathered by it with KPT there will be no container business at KPT through CTO/CWC-CFS Kandla Port up to December 2015.

4.1. Further, the CWC has stated that it has floated NIT for appointment of fresh H&T contractor at CFS-KPT and date of tender opening is 8 January, 2016 i.e., tender process will be finalized within October 2015 and the SOR of H&T operations definitely will be higher than existing rates. To cope-up the increase in H&T rates, there will be urgent need to revise H&T tariff proportionately, so as to avoid any financial loss to CWC. Therefore, it will be prudent to revise the H&T rates at CFS-KPT, provisionally up to extent to the increase in H&T rates to cope-up the increase of H&T SOR rates to be paid to contractor. After appointment of HTC the CWC will file tariff revision proposal to this Authority.

4.2. In view of the above, the CWC has requested to extend the validity of the existing SOR beyond 30 September 2015 and has also requested to grant time upto 31 December, 2015 or till appointment of HTC whichever is earlier to file its proposal. Further, the CWC has requested to revise Handling and Transportation (H&T) tariff (subject to finalization of H&T contract/tender) upto the extent of increase in H&T SOR till approval of CWC proposal by this Authority is conveyed.

5.1. From the submissions made by the CWC, there does not appear to be any change in the position relating to impex container traffic then prevailing at the KPT while extending the Scale of Rates of CWC vide Order dated 28 April, 2015 and now. In view of the extraordinary situation prevailing at the KPT, as brought out by the CWC in its letter dated 28 September, 2015, this Authority extends the validity of the existing SOR of the CWC from the date of its expiry till 31 March, 2016 or the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier.

5.2. In view of the submission made by the CWC, this Authority also grants time till 31 December, 2015 to CWC to file its proposal for revision of its SOR.

5.3. With reference to the request of CWC to revise the existing H&T tariff prescribed in the SOR it has to be recognized that in the cost plus approach of fixation of tariff under 2005 Tariff Guidelines, which is applicable for CWC-CFS, it is not possible to revise only one tariff item without taking into account the comprehensive cost position for the tariff cycle. However, after the receipt of CWC proposal for revision of its SOR, any revision in SOR, can be considered as per 2005 Guidelines after taking into account the comprehensive cost position for the tariff cycle. Hence, the request of CWC to revise H&T tariff is not acceded by this Authority.

6. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April, 2014, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Exty./143/15(282)]